

वरिय प्रभारी पदाधिकारी  
शान्त राजा/साठ/

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
संकल्प

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क की दर में वृद्धि।

राज्य सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में निम्नांकित रूप से वृद्धि करने का निर्णय लिया है :-

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव :-

	प्रारंभिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
1. सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रु 300/- (तीन सौ रु)	रु 375/- (तीन सौ पचहत्तर रु)
2. अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए)	रु 75/-(पचहत्तर रु)	रु 100/-(सौ रु)
3. राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों	रु 300/-(तीन सौ रु)	रु 375/-(तीन सौ पचहत्तर रु)

आदेश-आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21बी0पी0एस0सी0-06/2013 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....  
प्रतिलिपि, अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलंजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21बी0पी0एस0सी0-06/2013 सा0प्र0.....12963/पटना-15, दिनांक.....6-8-13  
प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

सचिव  
मंत्रालय